न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :–69/2020/भीलवाड़ा कैम्प

1. छीतर वल्द बख्तावरजी धोबी नि0 बछखेड़ा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मृतक के बजायकायम मुकाम–

1/1–शंकर वल्द छीतरजी धोबी नि0 बछखेड़ा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।
1/2–गंगाराम वल्द छीतरजी धोबी नि0 बछखेड़ा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।
1/3– भैरू वल्द छीतरजी धोबी नि0 बछखेड़ा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।
1/4–गीता पुत्री छीतरजी धोबी नि0 बछखेड़ा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।
1/5–मदना पत्नि छीतरजी धोबी नि0 बछखेड़ा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।

–अपीलार्थीगण

बनाम

जेठू वल्द हजारीजी धोबी नि0 बछखेड़ा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 1 सन् 2011 आवंटन निरस्तीकरण निर्णय दिनांक 30.05.2016 उनवान छीतर बनाम–जेठू

उपस्थित अभिभाषकः– श्री बी0एल0गुर्जर(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः–श्री एस0एम0 कुमावत(अनुपस्थित)

निर्णय दिनांकः–03.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बछखेड़ा तहसील शाहपुरा के साबिक आराजी नम्बर 2316 व 2318 रकबा 35 बीघा 5 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि दिनांक 22.02.1984 को आवंटन कमिटी द्वारा रेस्पोडेंट जेठू वल्द हजारी को आवंटित की गई। बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 3765 रकबा 0.52 हे0 कायम हुए। उक्त आराजी पर अपीलांटगण एवं उनके पिता का पिछले 55 सालों से कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी आज भी उनके कब्जेकाश्त में ही है। इस बाबत अपीलांटगण की ओर से आवंटन निरस्तीकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 1/2011 से दर्ज करवाया गया था। जिस पर बाद सुनवाई उनके द्वारा दिनांक 30.05.2016 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए रेस्पोडेंट 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को यथावत रखा। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त निर्णय दिनांक 30.05.2016 से व्यथित होकर तत्समय अपील दिनांक 01.08.2016 को न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में प्रस्तुत करना पाया जाता है। जिसे 185/2016 नम्बर पर दर्ज किया गया था। न्यायालय आरएए में सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 06.03.2018 को तहसीलदार फूलियाकलां को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। पत्रावली न्यायालय प्रोसिडिंग के अनुसार उक्त मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। दिनांक 17.12.2019 को न्यायालय आरएए भीलवाड़ा से उक्त पत्रावली राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.1[illegible] के अनुसरण में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है। उक्त अपील दिनांक 25.02.2020 को न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] 69/2020 नम्बर [illegible] की जाकर सुनवाई आरम्भ की गई। दिनांक 06.01.2023 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। मगर वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहें। बहस के दौरान वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:52 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट ने बताया कि विवादित भूमि हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 206 से जुड़ी हुई है। दोनो खसरा नम्बर अटैच है। खसरा नम्बर 3765 हमारा है तथा खसरा नम्बर 3774 रेस्पोडेंट का है। रेस्पोडेंट को आवंटित भूमि हमारे कब्जे में है। दोनो एक ही जाति से है। आवंटन दिनांक 22.02.1984 का है। मगर रेस्पोडेंट अभी भी गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। हमने धारा 14(4) के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहा अपील प्रस्तुत की थी। मगर मेरे प्रकरण को खारिज किया गया। अपील में अपीलांट द्वारा निम्न आधार बताये गये है–

1. आवंटन से पूर्व उदघोषणा जारी नहीं की गई है। आवंटित भूमि अपीलांट के कब्जेकाश्त में है तथा अपीलांट की खातेदारी आराजी नम्बर 3774 व रेस्पोडेंट की आवंटित भूमि को एक चक बनाकर रखा हुआ है।

2. रेस्पोडेंट के पास पूर्व से काफी भूमि उपलब्ध थी। मगर आवंटन हेतु आवेदन पत्र में इसका जिक्र नहीं किया गया।

3. तथ्य छिपाकर रेस्पोडेंट द्वारा आवंटन प्राप्त किया गया है।

4. मौके पर जाकर कब्जा नहीं सौंपा गया। अपीलांटगण भूमिहीन काश्तकार होने से भूमि आवंटन कराने के अधिकारी है। पूर्व में भी रेस्पोडेंट द्वारा 1जुलाई 1975 को साबिक खसरा नम्बर 2316 व 2318 में से 5 बीघा भूमि अपने नाम करवायी थी। जिसके नये खसरा नम्बर 3782 रकबा 1.26 हेक्टेयर बने है। अपील स्वीकार की जायें और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2016 निरस्त किया जायें तथा विपक्षी आवंटी को किया गया भूमि आवंटन निरस्त किया जायें। साथ ही अपीलांटगण के पक्ष में नियमन बाबत आदेश जारी किया जायें।

सर्वप्रथम अपील को मियाद बिन्दु के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 30.05.2016 का है। उक्त निर्णय की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 01.08.2016 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट जेठू पुत्र हजारी निवासी बछखेड़ा तहसील शाहपुरा द्वारा विवादित भूमियों बाबत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के नीचे की ओर जेठू के अंगूठा निशानी अंकित है। उसके द्वारा खसरा नम्बर 2316, 2318 क्षेत्रफल 2 बीघा ऊसर जमीन हेतु प्रार्थना पत्र लगाया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के पश्चात रिपोर्ट पटवारी में जेठू की मासिक आमदनी 300 रूपये बतायी गई है तथा आवेदक को संयुक्त परिवार का सदस्य बताया गया है। पांच बीघा जमीन बतायी गई है। जेठू के परिवार में छः सदस्य बताये गये है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में विवादित खसरा नम्बरों के 2 बीघा भूमि जेठू के पक्ष में अपनी राय रखी थी। दिनांक 25.10.1984 को विवादित भूमि जेठू को सुपुर्दगीनामा में दी गई थी। हस्ताक्षर गवाह के नीचे महेन्द्र कुमार अंकित है। बाद सुपुर्दगीनामा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा विवादित भूमियों को गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जमाबंदी संवत 2064–67 ग्राम बछखेड़ा खाता संख्या नया 726 जेठू पिता हजारी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। खसरा संख्या 3765 रकबा 0.52 हे0 अंकित है अर्थात जेठू को नियमानुसार भूमि आवंटन बाद जांच सही रूप से किया गया था। गिरदावरी ग्राम बछखेड़ा खसरा नम्बर 3765 रकबा 0.52 हे0 के अनुसार विवादित भूमि जेठू पिता हजारी के नाम खातेदारी में दर्ज है। रबी संवत [illegible] में विवादित भूमि के पूरे रकबे में चना बोया जाना पाया जाता है। संवत 2067 खरीफ में पूरे रकबे में ज्वार बोयी जाना पाया जाता है। दिनांक 09.02.2011 को रेस्पोडेंट द्वारा भू–राजस्व एवं अन्य टैक्स बाबत 30 रूपये जमा कराने की रसीद संख्या 6031 के अनुसार विवादित भूमि पर जेठू ही काबिज है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:52 IST
Reason: SelfAttested

उसके द्वारा लगान भी भरा जा रहा है। न्यायालय आरएए द्वारा तत्समय मंगवायी गयी मौका रिपोर्ट के अनुसार दोनो आराजीयात 3774 व 3765 को एक ही खेत बनाकर काश्त हुआ पाया गया। दोनो आराजीयात का एक ही चक बनाया जाकर चारों तरफ मिट्टी का डोला लगाया जाना पाया गया। उक्त मौका पर्चा पर आई0एल0आर0 एवं प्रशिक्षु पटवारी बछखेड़ा के हस्ताक्षर है। अन्य व्यक्तियों शांता, दुर्गालाल, शंकरलाल, सत्यनारायण, उदयलाल, रामदेव, दुर्गालाल , उकार व मूलचन्द के हस्ताक्षर है। उक्त मौका पर्चा के अंत में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा हस्ताक्षर किये हुए है। उपरोक्त मौका रिपोर्ट से कब्जे बाबत कोई भी वस्तु स्थिति रिपोर्ट ज्ञात नहीं होती है कि विवादित भूमि पर किन का कब्जा है। इस हेतु गिरदावरी में दर्ज प्रविष्टियों को ही माना जाना न्याय संगत होता है। अपीलांट के अनुसार उनका एवं पूर्व में उनके पिता का काफी वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जा है। वह आवंटन के बाद सिद्ध नहीं होता है। पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 23.04.2018 से भी अपीलांट के कब्जे बाबत कोई खुलासा नहीं होता है। समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट जेठू पिता हजारी को नियमानुसार भूमि आवंटन किया जाकर पटवारी द्वारा सुपुर्द की गई थी तथा इसके बाद सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा विवादित भूमि को रेस्पोडेंट जेठू के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया था। खसरा गिरदावरी के अनुसार विवादित भूमि पर जेठू पुत्र हजारी का ही कब्जा है एवं उसके द्वारा काश्त की जा रही है। मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 23.04.2018 अपीलांट की कोई मदद नहीं करती है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 1/2011 आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र उनवानी छीतर बनाम जेठू निर्णय दिनांक 30.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:52 IST
Reason: SelfAttested